[भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 14/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख **7 मार्च, 2019**

सा.का.नि.____(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 647(अ), तारीख 27 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 8/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 27 जून, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त एक करोड़ पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले में, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 7 के अधीन यथा विहित कर की रकम का विकल्प ले सकेगा :

परंतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त संकलित आवर्त निम्नलिखित किन्हीं राज्यों में, उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पात्र व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत की दशा में पचहत्तर लाख रुपए होगा, अर्थात् :-

(i) अरुणाचल प्रदेश,
(ii) मणिपुर,
(iii) मेघालय,
(iv) मिजोरम,
(v) नागालैंड,
(vi) सिक्किम,
(vii) त्रिपुरा,
(viii) उत्तराखंड :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम, की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन संयुक्त उदग्रहण का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका विवरण नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है :-

सारणी

क्रम सं.	**टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय**	**विवरण**
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है नहीं ।
2.	2106 90 20	पान मसाला ।
3.	24	सभी माल, अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प ।

स्पष्टीकरण.-

(i) इस सारणी में, “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग II)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार